निर्णय बइजलास शक्तिसिह भाटी (R.A.S.) सहायक कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी
देवगढ जिला राजसमन्द राज0

प्र0 सं0 217/2017 प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक 20.10.2020

अनवान

श्री मनमोहन व्यास पिता श्री दुर्गेश कुमार ब्रहाम्ण आयु बालिग निवासी देवगढ जिला राजसमन्द

———प्रार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब देवगढ तह0 देवगढ जिला राजसमन्द

— विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 136 रा0ले.रे.एक्ट

उपस्थित :–

श्री ईन्द्रमल कंसारा वकिल वादी

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थी ग्राम देवगढ का निवासी है। कृषि आराजियात ग्राम देवगढ में स्थित है जिसके खाता सख्या 938 खसरा नं. 4069/7 रकबा 0.09.16 , खसरा नं. 4059 रकबा 0.07 , आ.चाह न. 4063 शा.नं. 4064 रकबा 0.00.17 बीड आ.न. 4063/2 रकबा 0.03.10 , खसरा नं. 4706 रकबा 0.02 कुल किता 5 रकबा 1.03.04 विस्वा है। उसमें से आराजी चाह नं. 4059 रकबा 0.07 लिखा गया है जबकि 0.01 विस्वा की आराजी चाह है। शेष 0.06 विस्वा भूमी जो राजस्व रकार्ड में दर्ज होनी चाहिये जिसका संशोधन राजस्व रेकार्ड में कराना आवश्यक है। मुझ प्रार्थी के खाते में आराजी सख्या 4059 रकबा 0.07 विस्वा चाह लिखा हुआ है जो गलत है जबकि उक्त आराजी चाह 0.01 विस्वा भूमी पर ही है। शेष 0.06 विस्वा भूमी चाही के रूप में उपयोग में आकर कास्त हो रही है एवं आराजी नं. 4059 पर जो चाह है वह मात्र 0.01 विस्वा भूमी पर ही है । राजस्व रेकार्ड में गलत रूप से सम्पुर्ण आराजियात आराजी चाह के नाम पर दर्ज है। प्रार्थी को इसकी जानकारी राजस्व रेकार्ड की नकल लेने पर हुई अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी को प्रार्थी की आराजियात जो ग्रम देवगढ पटवार हल्का देवगढ के खा0 न0 938/533 के खसरा नं. 4059 रकबा 0.07 विस्वा की किस्म परिवर्तन ईन्द्राज दुरस्ती से किया जाकर ख0नं0 4059 रकबा 0.01 विस्वा भुमि चाह दर्ज की जावें। एवं शेष ख0नं0 4059 की भूमि 0.06 विस्वा को चाही के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किया गया प्रत्युत्तर में जवाब में निवेदन किया गया है कि पुर्व में ही रेकार्ड में आ0न0 4059 रकबा 0.07 विस्वा की किस्म आ. चाह अंकित है वकील प्रार्थी ने एक संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि मौके पर कोई चाह है ही नही मात्र समतल भुमि है सम्पुर्ण आराजियात में राजस्व रेकार्ड में दर्ज आराजी चाह की जगह चाही किस्म दर्ज की जावें। बहस में विद्वान वकील प्रार्थी ने तर्क दिया कि ग्राम देवगढ के खा0नं0 938/533 ख0नं0 4059 रकबा

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला राजसमन्द

0.07 विस्वा भुमि की किस्म चाह लिखी है जो गलत है उक्त आराजी पर कोई चाह नही है राजस्व रेकार्ड में गलत रूप से सम्पुर्ण आराजियात चाह के नाम दर्ज कर दी जबकि मौके पर कोई चाह हे ही नही राजस्व रेकार्ड में गलत रूप से सम्पुर्ण आराजियात चाह के नाम दर्ज कर दी गई ह अतः उक्त आराजी की किरम परिर्वतन करा ईन्द्राज दुरस्ती से ख0नं0 4059 रकबा 0.07 विस्वा भुमि की किस्म चाही दर्ज कराने के आदेश प्रदान करावें।

हमनें प्रार्थी के प्रार्थना पत्र नकल जमाबन्दी सं0 2070 से 2073 का अवलोकन किया तथा विद्वाव वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तहसीलदार देवगढ द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा रिर्पोट दिंनाक 24.09.2020 का अवलोकन किया गया। रिर्पाट के अनुसार मौके पर कोई चाह नही है। उपरोक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि राजस्व रेकार्ड में 0.07 विस्वा चाह अंकित है जो गलत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम देवगढ पटवार हल्का देवगढ में स्थित प्रार्थी को खातेदारी भुमि ख0नं0 938/533 खं0 नं.4059 रकबा 0.07 विस्वा चाह की बजाय ख0नं0 4059 रक़बा 0.07 किस्म चाही दर्ज करनें के आदेश दिये जाते है पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को लिखा जावें। पत्रावली बाद पुर्ति नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर देवगढ